में जारी हुए

वकील प्रार्थी उप. है। अप्रार्थी सं. 1 व ओर कोई वकील वा मुख्त्यार उप. नहीं है। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस ता. दि० 4/8/22 को पेश हो।

4/8/22 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी~~/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित~~ है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश~~ पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का ~~स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/8/22 को पेश हो।

रीडर

25-8-22 वकील प्रार्थी उप०) वास्ते बहस पत्रा० दि० 21-9-22 को पेश हो।

21-9-22 वकील प्रार्थी उप० बहस सुनी गई प्रार्थी के वकील ने T.I. प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं० 2073-76 खाता नं० 737 ग्राम उदई कलां के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी रमेश हिस्सा 1/2 प्रार्थी राम विलास हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी रमेश ने अपने जवाब में भूमि पर प्लाटिंग कर दिये जाने का उल्लेख किया है परन्तु कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है इस के अभाव में प्रार्थी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है चूंकि राजस्व अभिलेख मे भूमि ~~~~ कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है तथा इस में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है, प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है अतः T.I. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ~~का~~ फैसला

रामखिलाड़ी बनाम रमेश

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	दावा पाबन्द किया जाता है कि वह भूमि 4398, 4399, 6109, 6112, ग्राम उर्दई कलां प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। sd/- उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)